

उपभोक्ता संगठनों के लिए पंजीकरण संबंधी योजना

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना है। उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपभोक्ताओं द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने और मुद्दों पर उनके विचार जानने के उद्देश्य से नियमित रूप से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम (सीओपी), संगोष्ठी और खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आदि का आयोजन करता है। स्पष्ट रूप से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लिए सभी उपभोक्ताओं से विचार विमर्श करना संभव नहीं है। इसलिए, उपभोक्ता संगठन अथवा गैर-सरकारी संगठन, उपभोक्ताओं और प्राधिकरण के बीच आवश्यक संपर्क/ इंटरफेस प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए अपने प्रयास के रूप में भागीदार बनने के लिए उपभोक्ता संगठनों/ गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण के लिए एक योजना तैयार की है। इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 21 फरवरी, 2013 के 'पंजीकरण उपभोक्ता संगठन विनियमन, 2013' को अधिसूचित किया है। अन्य बातों के साथ-साथ विनियमों में पात्रता मानदंड, प्रक्रिया और उपभोक्ता संगठनों से अपेक्षित भूमिकाओं की रूपरेखा तैयार की गई है।

इच्छुक लाभ अर्जित नहीं करने वाले और गैर राजनीतिक संगठन इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पृष्ठ पर विनियम के लिए संबंधित लिंक प्रदान किया गया है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत रूप से भरा गया आवेदन प्ररूप नीचे दिए गए पते पर जमा किया जा सकता है:—

संयुक्त सलाहकार (उपभोक्ता मामले)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण,
महानगर दूरसंचार भवन,
(जाकिर हुसैन कॉलेज के आगे)
जवाहरलाल नेहरू मार्ग (पुराना मिंटो रोड)
नई दिल्ली : 110002

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2021 है। आपके पास आवेदन की स्कैन प्रति के साथ दस्तावेज के संगत दस्तावेजों को ईमेल jaca@traai.gov.in पर भेजने का विकल्प भी है।

उपयोगी लिंक :-

1. [सीएजी का राज्यवार पंजीकरण संख्या](#)
2. [आवेदन के प्रारूप की 'वर्ड' में प्रति](#)